राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांक : एफ.6(2)वित्त 1(1) आय–व्ययक/2024 जयपुर, दिनांक : 30 मई, 2025

समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
राजस्थान

विषय :– नवीन बजट शीर्ष/उपशीर्ष खोलने के प्रस्ताव बाबत्।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान से प्राप्त निर्देशानुसार नवीन बजट मद शीर्ष/उपशीर्ष खुलवाने के प्रस्ताव भिजवाते समय उसमें निम्नलिखित बिन्दुओं की स्थिति स्पष्ट करते हुए ही इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें:–

1. नवीन शीर्ष खोलना, किसी अधिनियम/अधिसूचना के अन्तर्गत अपेक्षित हो तो उसकी प्रति प्रस्ताव के साथ भेजी जावे।
2. नवीन शीर्ष खोलने के प्रस्ताव के साथ उस शीर्ष में वर्ष के दौरान अनुमानित राजस्व प्राप्ति/व्यय का ब्योरा दिया जावे।
3. पर्याप्त (Material) प्राप्ति/व्यय होने पर ही नवीन शीर्ष खोलने के प्रस्ताव प्रेषित किये जावे।

अतः समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध है कि नवीन बजट खुलवाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करते समय प्रस्तावों में उक्त बिन्दुओं को शामिल करना सुनिश्चित करावें।

(मनीष माथुर)
निदेशक, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव को प्रेषित कर अनुरोध है कि आपके अधीन विभागों को उपरोक्तानुसार ही नवीन बजट शीर्ष/उपशीर्ष खोलने के प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित कराने का श्रम करावें।
3. समस्त संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
4. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव

Room No. 5124, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227791 www. finance.rajasthan.gov.inE-mail - dsfbudget@rajasthan.gov.in

\SRA\Letter\Letter-new.docx 832